जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

परीक्षा समिति की कार्यवाही

मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांकः 16.11.2018 को अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में आहूत परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नवत अधिकारीगण उपस्थित हुए।

1. प्रो0 योगेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ0 के0के0 मिश्रा,	सदस्य
3. डॉ0 (श्रीमती) रीना सक्सेना	सदस्य
4. डॉ0 आर.पी. राघव	सदस्य
5. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
6. डॉ0 दयालानन्द राय	सदस्य
7. डॉ0 आर.पी. कुशवाहा	सदस्य
8. डॉ0 आशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
9. डॉ0 राम शरण पाण्डेय	विशेष आमंत्रित
10.डॉ0 देवेन्द्र सिंह	विशेष आमंत्रित
11.श्री प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी,	विशेष आमंत्रित
12 श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की कुलसचिव को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में कुलसचिव द्वारा परीक्षा समिति के सम्मुख विचारार्थ कार्यसूची प्रस्तुत की गयी, जिस पर परीक्षा समिति ने मदवार निम्नाकित निर्णय लिये।

मद सं0 1– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.09.2018 की कार्यवाही के सम्पुष्टीकरण पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 22.09.2018 की कार्यवाही को यथावत संपुष्ट किया गया।

मद सं0 2– दिनांक 08.12.2018 से प्रस्तावित प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु घोषित प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

परीक्षा समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षाएं एक पाली के स्थान पर दो पालियों में (पुर्वाह्न 08:00 से 11:00 तथा अपराह्न 01:00 से 04:00) करायी जाये। कतिपय सदस्यों द्वारा यह सूचित किया गया कि तृतीय सेमेस्टर के परीक्षाफार्म तथा बैक पेपर/इम्प्रूवमेन्ट तथा भूतपूर्व पीरक्षार्थियों के परीक्षाफार्म शेष रह गये हैं तथा 17 दिसम्बर, 2018 से 22 दिसम्बर, 2018 तक यू0जीसी0 नेट की आनलाइन परीक्षाएं होनी हैं। अतएव पूर्व में प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तिथि का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर

पर किया जाय। कुलसचिव द्वारा यह समिति को सूचित किया गया कि सेमेस्टर पीरक्षाओं हेतु कुछ महाविद्यालयों द्वारा अभी तक परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय खाते में जमा न किए जाने के दृष्टिगत 08 दिसम्बर, 2018 से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाएं कराये जाना सम्भव नहीं है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथाशीघ्र घोषित कर दिया जायेगा।

मद सं0 3– दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 से प्रस्तावित प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं छात्र संख्या के दृष्टिगत अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाते हुए सम्पन्न करायी जायें। कुलसचिव द्वारा यह सूचित किया गया कि अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा निर्धारित मानकों एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में मानकों की पूर्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति की जानकारी हेतु अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों को पत्र दिनांक 12.11.2018 को प्रेषित किया जा चुका है परन्तु किसी भी महाविद्यालय से प्रारूप भरकर प्रेषित नही किया गया है। सदस्यों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मानकों एंव दिशा निर्देशों की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है। समिति ने शासनादेश संख्या–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16(9)/2018 को संज्ञान में लिया एवं इस पर कार्यवाही किए जाने पर सहमति प्रदान की।

मद सं0 4– वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2017–18 में लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं को निष्प्रयोज्य (weed out) घोषित किये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय तथा जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थियों द्वारा योजित याचिका/आवेदन पत्रों से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को पृथक करते हुए शेष समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से छः माह के उपरान्त निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए Weed Out की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जाये।

मद सं0 5– महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों द्वारा उत्तर–पुस्तिकाओं के अवलोकन के उपरान्त अंको के योग में घटित त्रुटि के संशोधन हेतु समन्वयक, मूल्यांकन केन्द्र की आख्या पर विचार।

समन्वयक मूल्यांकन केन्द्र की आख्या अनुसार परीक्षा समिति ने निम्नांकित 05 छात्रों के अंको में हो रहे परिवर्तन के अनुसार परीक्षाफल संशोधित करने की अनुमति प्रदान की।

क्र0	अनुक्रमांक	कक्षा	विषय	प्रश्नपत्र	त्रुटिपूर्ण अंक	संशोधित अंक
1	171201490066	बी0एस0सी0–प्रथम(बैक पेपर)	गणित	द्वितीय	13	20

2	171202490148	बी0एस0सी0—प्रथम	प्राणि विज्ञान	तृतीय	25	27
3	171302132137	बी0एड0—द्वितीय सेमेस्टर	—	द्वितीय	35	37
4	171355132172	बी0एड0—द्वितीय सेमेस्टर	—	चतुर्थ	13	29
5	171336480016	बी0ए0—प्रथम	गृहविज्ञान	प्रथम	06	35

मद सं0 6— स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.2018 और 05.11.2018 पर विचार।

क्रं0	प्रत्यावेदन दिनांक 05.11. 2018 का विवरण	परीक्षा समिति का निर्णय
1	विश्वविद्यालय द्वारा जो मध्य सत्र में फीस वृद्धि की गयी है, वह वापस लिया जाय एवं पिछले वर्ष की भांति प्रथम वर्ष में रू0 1050 तथा द्वितीय वर्ष में रू0 950 जमा कराया जाय अतिरिक्त बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाय।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित एवं गत वर्ष की भांति ही परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय द्वारा जमा कराया जा रहा है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णयोपरान्त ही लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि वित्त समिति एवं कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर ही पुनःविचार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। चूकि प्रबन्धकों ने शुल्क के सम्बन्ध में अपने प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश शासन एव कुलाधिपति कार्यालय को संदर्भित किया है, अतएव उच्चतर स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित सक्षम समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
2	महाविद्यालयों द्वारा छात्र—छात्राओं का जो प्रवेश लिया गया है किन्तु विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर उनका पंजीकरण/परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सका है, उनको पंजीकृत करने हेतु कोई अग्रिम तिथि निर्धारित की जाय।	शासन द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2018 थी जिसे प्रवेश समिति दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा 14 अगस्त, 2018 निर्धारित किया गया। उक्त तिथि के उपरान्त प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश/पंजीकरण की अनुमति नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है। बैकपेपर/इम्प्रूवमेन्ट परीक्षा तथा अपूर्ण एवं कतिपए कारणों से विलम्ब से घोषित परीक्षाफल के दृष्टिगत जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर द्वितीय वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन/परीक्षाफार्म नहीं भराया जा सका है तथा परीक्षा शुल्क भी विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं किया गया है, एसे महाविद्यालयों को अन्तिम रूप से वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/परीक्षा फार्म भरे जाने तथा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि के उपरान्त विलम्ब शुल्क रू0 500 प्रतिछात्र के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तक उक्त कार्यवाही की जा सकेगी। आगामी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत 05 दिसम्बर, 2018 के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि विस्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

3	पंजीकरण के बाद महाविद्यालयों के समस्त छात्र–छात्राओं की सूची उनकी लागिन पर उपलब्ध करायी जाय व पूर्व के वर्षों की भांति उन्हें एप्रूव्ड/डिसएप्रूव्ड करने हेतु समय दिया जाय। तत्पश्चात महाविद्यालय फाइनल एप्रूव्ड करेगा। उसके बाद महाविद्यालय के लागिन पर उसकी फीस जनरेट की जाय।	महाविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि प्रवेशित छात्रों का ही रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय पोर्टल पर किया जाय न कि एसे छात्रों का जिनका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया है। कुलसचिव ने समिति को बताया कि महाविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया है।
4	महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्यगण हेतु कोई बैठने का स्थान निर्धारित किया जाय जिससे विश्वविद्यालय में आने पर ना ही प्रबन्धक/प्राचार्यगण को असुविधा हो और न ही विश्वविद्यालय के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो।	महाविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य आनलाइन कालेज लाग–इन के माध्यम से आनलाइन किये जाते हैं तथा एन0ओ0सी0/सम्बद्धता आदि भी वर्तमान सत्र से आनलाइन किया जा रहा है। फिर भी प्रबन्धक/प्राचार्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि यदि विश्वविद्यालय आना अपरिहार्य हो तो सम्बन्धित अधिकारी से समय लेकर मिल सकते हैं। विश्वविद्यालय नवस्थापित है अतः बैठने हेतु स्थान निर्धारित करने में समय लग सकता है।
5	सत्र 2018–19 में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु जो भी पत्रावली जमा हुई है, उनका पत्र निर्गत किये जायें, जिससे वह महाविद्यालय किसी अन्य कोर्स/यू0जी0सी0 में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सके।	प्रकरण परीक्षा समिति से सम्बन्धित नहीं है। इस सम्बन्ध मे सक्षम स्तर से प्रशासनिक निर्णय लेते हुए अवगत करा दिया जायेगा।

क्र0	प्रत्यावेदन/मांग का विवरण	निर्णय
1	रजिस्ट्रेशन/नामाकंन फार्म की अंतिम तिथि 15 अगस्त के स्थान पर 15 सितम्बर रखा जाय तथा उसके पश्चात विलम्ब शुल्क के साथ	यह विषय प्रवेश समिति से सम्बन्धित है।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

	नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाये।	
2	नमांकन व रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग–अलग नहीं अपितु एक ही माना जाय।	यह विषय प्रवेश समिति से सम्बन्धित है।
3	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रतिछात्र रू0 100/– ही लिया जाय। इसके लिए आवश्यक होने पर कुलाधिपति महोदय से निवेदन किया जाय।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित एवं गत वर्ष की भांति ही परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय द्वारा जमा कराया जा रहा है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति, वित्त समिति एवं कार्यपरिषद के निर्णयोंपरान्त लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति, वित्त समिति एवं कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर ही पुनःविचार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। चूकि प्रबन्धकों ने शुल्क के सम्बन्ध में अपने प्रत्यावेदन उत्तर प्रदेश शासन एवं कुलाधिपति कार्यालय को संदर्भित किया है, अतएव उच्चतर स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित सक्षम समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
4	विश्वविद्यालयी परीक्षा के दौरान में आरोपित परीक्षा केन्द्रों/महाविद्यालायों का पक्ष भी सुना जाय। तत्पश्चात पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जाय।	परीक्षा समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए अपने पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।
5	अन्य विश्वविद्यालय(जैसे–पूर्वांचल विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय) के नियमों अनुसार ही किसी विषय के सभी प्रश्नपत्रों के योग के आधार पर ही परीक्षाफल उत्तीर्ण/अनुतीर्ण घोषित किया जाय।	परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय जिसमे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में लागू/अनुमन्य नियमों के अनुरूप ही परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय के अनुसार ही परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है।
6	द्वितीय/तृतीय वर्ष के छात्रों का नामांकन आवश्यकता पड़ने पर निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय को दिया जाय।	यह विषय प्रवेश समिति से सम्बन्धित है।
7	कृपांक को बढ़ाते हुए अधिकतम छात्रों को उत्तीर्ण होने का अवसर प्रदान किया तथा बैकपेपर समाप्त किया जाय।	कृपांक के सम्बन्ध में परीक्षा समिति के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा रही है तथा बैक पेपर की सुविधा छात्रों को पर्नुःमूल्यांकन के स्थान पर शासनादेशानुसार प्राप्त है।
8	श्रेणी सुधार पूर्व की भांति मुख्य परीक्षा के साथ किया जाय।	सेमेस्टर परीक्षाओं में श्रेणी सुधार की परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ ही की जा रही है।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

9	स्थायी सम्बद्धता हेतु लंबित पत्रावलियों का निस्तारण प्रमुखता के साथ किया जाय।	प्रकरण परीक्षा समिति से सम्बन्धित नहीं है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से प्रशासनिक निर्णय लेते हुए अवगत करा दिया जायेगा।

मद सं0 7– गोपनीय प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जनपद समन्वयकों को मानदेय के रूप में रू0 5000/– एवं मोबाइल पर व्यय हेतु रू0 200/– प्रति समन्वयक प्रदान किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने गोपनीय प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जनपद समन्वयकों को मानदेय के रूप में रू0 5000/– एवं मोबाइल पर व्यय हेतु रू0 200/– प्रति समन्वयक प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए वित्त समिति को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं0 8– आगामी वार्षिक परीक्षाओं के द्वितीय वर्ष एवं तृतीय सेमेस्टर में कतिपय कारणों से आनलाइन परीक्षा फार्म/पंजीकरण से छूटे हुए छात्र–छात्राओं हेतु अंतिम रूप से एक सप्ताह का समय प्रदान किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त मद संख्या 6 के क्रमांक 02 पर निर्णय लिया जा चुका है।

मद सं0 9– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय जिनके यहां परास्नातक एंव व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित है परन्तु उनके द्वारा विश्वविद्यालय के खाते में परीक्षा एवं अन्य शुल्क जमा नहीं कराया गया है, के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त मद संख्या 6 के क्रमांक 02 पर निर्णय लिया जा चुका है।

मद सं0 10– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दो महाविद्यालयों पर द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं में सम्मिलित छात्राओं से प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर की गयी वसूली की शिकायत से सम्बन्धित जांच हेतु गठित जांच समिति की जांच आख्या पर विचार।

परीक्षा समिति ने जांच समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को यथावत अनुमोदित किया।

मद सं0 11– विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया के बी0एड0 द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में करायी गयी पुर्नःपरीक्षा में समस्त अभ्यर्थियों के सम्मिलित न होने के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति ने छात्रहित में विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया के बी0एड0 द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की पुर्नःपरीक्षा हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए श्री मुरली मनोहर टाउन पी0जी0 कालेज पर परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

मद सं0 12– समन्वयक यू0एफ0एम0 समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में सेमेस्टर परीक्षा में 28 छात्र एवं बैकपेपर में 07 छात्र जो नकल में आरोपित किये गये हैं के प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति ने समन्वयक यू0एफ0एम0 समिति की संस्तुति, जिसमें नकल में आरोपित समस्त छात्रों की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करते हुए पुर्नःपरीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

मद सं0 01– परीक्षा समिति ने परास्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को दो प्रश्नपत्रों में बैक पेपर की सुविधा प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान की।

मद सं0 02– परीक्षा समिति द्वारा स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये भी आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि विलम्ब शुल्क रू0 500/– के साथ 05 दिसम्बर, 2018 निर्धारित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

(प्रो0 योगेन्द्र सिंह)
कुलपति